न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी:— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 46/2018
मुनीराम पुत्र रेंवतराम जाति सुथार निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा, जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा. जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :—

1— अपीलान्ट की ओर से — श्री लक्ष्मीनारायण सियाग अधिवक्ता
2— स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 29.04.2019

1. अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार (राजस्व) नोखा के आदेश दिनांक 11.09.2018 जिसकी रूह से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि जैर बहस व अपीलान्ट की वास्तविक हकूक का बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि करने के कारण अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार नोखा) को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त किया गया।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे कथन किया कि वादगत भूमि ग्राम उतमामदेसर वर्तमान खसरा नम्बर 638 तादादी 0.10 हेक्टयर सरकारी भूमि बताकर अतिचार बताया गया है । वादगत भूमि पर प्रार्थी का रिहायशी पट्टा 3000 वर्गगज आबादी क्षेत्र में बना हुआ है। ग्राम पंचायत साधासर द्वारा गौचर भूमि में आबादी का प्रस्ताव पास किया। उसके आधार पर लोग रिहायशी मकान बनाकर लम्बे समय से निवास रह रहे है। आबादी भूमि का रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण खसरा नम्बर का अंकन गलत रूप से हुआ है। प्रार्थी परिवार सहित पक्का मकान बनाकर कर निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत की मिसल नम्बर 50 दायरा दिनांक 4.5.1981 से बेगराज पुत्र नथमल मरोठी निवासी उतमामदेसर को बएवज रकम रूपया 30 रसीद संख्या 27 दिनांक 4.11.1981 से दिनांक 6.11.1981 को विक्रय विलेख जारी किया हुआ है। बेगराज के वारिसो द्वारा रेंवतराम पुत्र गोविन्दराम व उनके फौत होने पर उनके वारिसों के पारिवारिक समझौतों से परमाराम व मुनीराम पुत्रगण रेंवतराम के पक्ष में रखा गया तब से प्रार्थी परिवार सहित पक्का मकान बनाकर निवास कर रहा है। भौतिक रूप से अपीलांट को

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

कभी बेदखल नहीं किया गया है। प्रकरण में विधिवत् जांच नहीं की गई। परिवादी विशनाराम द्वारा लोकायुक्त महोदय को शिकायत करने पर बिना क्षेत्राधिकार के अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। श्रीमान् जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा जिन आपत्तियों पर बिन्दुवार स्पष्टीकरण चाहा जाने पर श्रीमान् जी जांच द्वारा ही संभव है, जो मेरिट पर तय किया जाना जिला कलक्टर का क्षेत्राधिकार होने से अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त कार्यवाही में कानूनन ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार बनाकर सुनवाई किया जाना आवश्यकता था, अन्यथा उक्त कार्यवाही अवैध है। न्यायालय नायब तहसीलदार नोखा द्वारा प्रकरण बिना एडजोरनमेंट के रहा । न्यायालय तहसीलदार नोखा में कब स्थानान्तरण किया गया जिसके बारे में अपीलान्ट के अधिवक्ता व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने अनेक नजीरों में यह आदेश दिया है कि पट्टा जारी हो चुका है तो अतिचारी नहीं है। जानकारी की दिवस से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। विद्वान वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि तहसीलदार नोखा द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 3.7.1971 का उल्लंघन करते हुवे अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2009 (I) पेज 722, आरआरटी 2010 पेज 159, आरआरटी 2010 पेज 172, आरआरडी 2017 पेज 204 के उद्धरण पेश किये।

5. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का साधासर ने ग्राम उतमामदेसर के खसरा नम्बर 638 रकबा 0.10 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन गौचर पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाकर मकान निर्मित किये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत साधासर द्वारा जारी पट्टे की आड में रकबा राज की भूमि को हड़पना चाहता है। पटवारी की रिपोर्ट पर भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई। भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच में भी अपीलान्ट का खसरा नम्बर 638 गैर मुमकिन गौचर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा पाया गया। अपीलान्ट को गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने पर बेदखली के आदेश दिये गये तथा गौचर भूमि पर निर्मित पक्का आवास कब्जा राज लिया गया। संवत 2074 वर्ष 2017 में किये गये अतिक्रमण के कारण लगान का 50 गुणा राशि जुर्माना कायम किया गया व भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को आदेश दिये गये कि अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल कर गौचर भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये पक्के आवास को कब्जा राज लिया जावे व जुर्माना राशि वसूल कर राज कोष में जमा करवाई जावें। अपीलान्ट पर की गई कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार की गई है। स्वयं अपीलान्ट की भी स्वीकारोक्ति है कि उसका कब्जा गौचर भूमि पर है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

आति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम उतमामदेसर की अतिक्रमित भूमि खसरा नम्बर 638 रकबा 0.10 हैक्टयर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन गोचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज है। ग्राम पंचायत को खसरा नम्बर 638 (गैर मुमकीन गोचर, झाड़ झखांल वाले वन चारागाह हेतु) पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं बनता । विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि प्रश्नगत भूमि पर लम्बे समय से रह रहे है, इस आधार पर अतिक्रमण को जायज न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा जांच कर कार्यवाही की जाना न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न है। भूमि मुतनाजा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन गोचर, झाड़ झखांल वाले वन चारागाह हेतु दर्ज है। पंचायत को इस भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार हासिल नहीं होने से पंचायत पट्टा नहीं दे सकती है। ऐसी स्थिति में पंचायत को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। न्यायालय नायब तहसीलदार नोखा के यहां से पत्रावली दिनांक 7.6.18 को स्थानान्तरण से प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर हुई है। आगे की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार नोखा द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप सम्पादित हुई है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार नोखा ने आदेश दिनांक 11.09.2018 के द्वारा गैर मुमकीन गौचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पक्का मकान बनाकर परिवार सहित रह रहे है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपरान्त अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन गौचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनेक प्रकरणों में गैर मुमकीन गौचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को गैर कानूनी करार दिया है। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्य अलग होने के कारण हुबहु चस्पा नहीं होते है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अन्य ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट गैर मुमकीन गौचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) भूमि पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति. जिला कलक्टर,(प्रशा.)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner